-: टिप्पणी एवं आदेश :-

महोदय,

कृपया जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल" उपलब्ध कराने के क्रम में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा 06 ग्राम पंचायतों की 06 नग प्राक्कलन एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, J/V ईको प्रोटेक्शन इन्जीनियरिंग प्रा०लि० द्वारा 50 ग्राम पंचायतों की 39 नग प्राक्कलन पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक 07.10.2022 की बैठक में नियमानुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति/संस्तुति हेतु विचार विमर्श किया गया। फर्मों द्वारा 56 ग्राम पंचायतों के 45 नग विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति/संस्तुति के क्रम में 05 करोड़ से कम लागत के समस्त 45 नग प्राक्कलनों को जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अग्रसारित की सूचना एवं प्राक्कलन की प्रति को अधिशासी निदेशक, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जाने वाली कार्यवृत्त का आलेख दाहिनी ओर टंकित है कृपया हस्ताक्षर करना चाहें।

A.E. S.W.S.M

अधिशासी अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
बलरामपुर।

मुख्य विकास अधिकारी, महोदय/जिलाधिकारी, महोदय।

19/10/2022
CDO

20/10/22

पत्रावली प्राप्ति का दिनांक 20/10/2022
पत्रावली वापसी का दिनांक 21.10.22

जिलाधिकारी
बलरामपुर

जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत दिनांक 07.10.2022 को जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में जनपद–बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी– मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, (J/V) ईको प्रोटेक्शन इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0 एस0एम0, बलरामपुर को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन (डी0पी0आर0) परीक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बलरामपुर के बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद–बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी– मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, बलरामपुर को प्रस्तुत किये गये 06 ग्राम पंचायतों के 07 नग प्राक्कलन जिसमें 15 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, (J/V) द्वारा 50 ग्राम पंचायतों के 39 नग प्राक्कलन जिसमें 64 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं को परीक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बलरामपुर की बैठक दिनांक 07.10.2022 को जिलाधिकारी बलरामपुर के आवास पर आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
2. जिला विकास अधिकारी, बलरामपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर।
4. जिला कृषि अधिकारी, बलरामपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–प्रथम, बलरामपुर।
9. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, बलरामपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
11. जनपदीय टीम लीडर, मे सेन्सिस टेक लि. (टी.पी.आई.)।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि, जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा प्रेषित 06 नग योजनाओं के प्राक्कलन जिससे 06 ग्राम पंचायतें/07 राजस्व ग्राम एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, J/V ईको प्रोटेक्शन इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 द्वारा प्रेषित 39 नग योजनाओं के प्राक्कलन जिससे 50 ग्राम पंचायतें/64 राजस्व ग्राम पेयजल से आच्छादित होंगे, के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है। प्राप्त प्राक्कलनों में फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के जनपद स्तर पर स्वीकृत होने वाले 06 नग प्राक्कलन हैं, जिसमें समस्त 06 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम हैं जिसमें 02 प्राक्कलन की प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से कम हैं एवं 02 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से अधिक है। इसी प्रकार फर्म मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग के जनपद स्तर पर स्वीकृत होने वाले 39 नग प्राक्कलन हैं, जिसमें से 03 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम एवं प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से कम हैं एवं 36 नग प्राक्कलनों की लागत 5 करोड़ से कम हैं जिसमें 35 नग प्राक्कलनों की लागत प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से कम हैं एवं 01 नग प्राक्कलन की लागत प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से अधिक है। जिसकी स्वीकृति/स्वीकृति हेतु शासनादेश संख्या 36/2021/1599/ छिहत्तर–1–2021–25सम /2019 दिनांक 08.07.2021 के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में किया जाना प्रस्तावित है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा 06 नग एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग द्वारा 39 नग प्राक्कलनों में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ.प्र. शासन लखनऊ

CamScanner

के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1– 2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 एवं शासनादेश सं0 के शासनादेश संख्या 53/2021/2774 /छिहत्तर –1–2021–25सम/2019 दिनांक 05.10.2021, में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 तकनीकी परीक्षण हेतु खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। जिसके क्रम में खण्ड कार्यालय द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया। शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार तकनीकी परीक्षण में परिलक्षित प्राक्कलन में आवश्यक संशोधन फर्मो से कराते हुए समस्त प्राप्त प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर द्वारा प्रदान की गयी।

आयोजित बैठक में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त 45 नग पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलनों पर स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समस्त सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। जिस पर समस्त सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गयी। जिसके उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष एवं समिति सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में जनपद स्तर/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ स्तर पर योजनाओं की स्वीकृति/संस्तुति हेतु संस्तुति इस आशय के साथ प्रदान की गयी कि-फर्मों द्वारा उपलब्ध कराये गये 45 नग प्राक्कलनों की ग्राम पंचायत स्तर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि, सम्मिलित ग्राम पंचायतों के समस्त मजरे प्राक्कलन में सम्मिलित हैं एवं प्राक्कलन ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है साथ ही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) यह सुनिश्चित कर लें कि प्राक्कलन में दरें स्वीकृत मानक दरों के अनुसार ही ली गयी हैं। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा लिए गये निर्णय के उपरान्त तदानुसार प्राक्कलनों को अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर के माध्यम से प्राक्कलनों की प्रति शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा तैयार किये जाने वाले अवशेष 32 ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन एवं मेसर्स दारा जे0वी0 इको प्रोटेक्शन द्वारा तैयार किये जाने वाले अवशेष 257 ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन यथाशीघ्र फर्म द्वारा तैयार कराते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0 /मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि, जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने हेतु जनपद की ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के दृष्टिगत जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुरक्षण प्रबन्धन इत्यादि कार्यो के लिए नामित समस्त 07 इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सीयों के वर्तमान तक किये गये कार्यों एवं शेष की जाने वाली कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। जिसमें जनपद में कार्यरत 07 इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सियों को पूर्व जिलाधिकारी महोदया द्वारा आवंटित कलस्टर से अवगत कराया गया जिसमें समस्त आई0एस0ए0 को 239 ग्राम पंचायतों के कलस्टर आवंटित हुये थे जिसमें पेयजल योजनाओं से वंचित एवं फर्मों को आवंटित 216 ग्राम चयनित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सीयों को निर्धारित कलस्टर अन्तर्गत शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन फेज़ एवं अन्य फेज़ के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त गतिविधियों को समयान्तर्गत पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। पूर्व आवंटित ग्राम पंचायतों के कलस्टर के उपरान्त अवशेष 504 ग्राम पंचायतों के कलस्टर निर्धारित करते हुए उक्त की स्वीकृति हेतु पत्रावली पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। जिसके क्रम में शासन द्वारा निर्गत दिशानिर्देश हेतु शासनादेश सं0–190/ छिहत्तर– 1–2020 –25सम/2019 दिनांक 24.01.2019, अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक सं0 2411/डब्ल्यू–314/जे0जे0एम0–आई0एस0ए0/2020–21 दिनांक 25.01.2021, द्वारा जनपद हेतु नामित इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी, शासनादेश सं0–03/2021/423/ 76–01–2021–03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021, पत्रांक सं0 2725/डब्ल्यू –314 /जे0जे0एम0 –आई0एस0ए0/2020–21 दिनांक 05.03.2021 द्वारा कलस्टर आवंटन की कार्यवाही, पत्रांक 1338/डब्ल्यू–314 (VOL–6)/2022–23 दिनांक 18.07.2022 द्वारा चयनित संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दृष्टिगत जनपद में अच्छा काम कर रही संस्थाओं को कलस्टर

CamScanner

आवंटन की कार्यवाही के क्रम में जनपद बलरामपुर में निर्मित की जाने वाली पेयजल योजनाओं के कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व से निर्माण के पश्चात संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ होने तक शासनादेश एवं आर0एफ0पी0 के अनुसार समस्त इम्पलीमेनटेशन स्पोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) द्वारा जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुरक्षण प्रबन्धन इत्यादि हेतु पेयजल योजनाओं से वंचित ग्राम पंचायतों की सूची से अवशेष 504 ग्राम पंचायतों में क्लस्टरों के आवंटन के प्रस्ताव पर अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों द्वारा विचार विमर्श उपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में कलस्टर आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम को आवंटित कलस्टर से सम्बन्धित अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व आवंटित कलस्टरों की ग्राम पंचायतों में समस्त आई0एस0ए0 द्वारा गृह जल संयोजन की कार्यवाही के दृष्टिगत ग्रामवासियों से आधार कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की शिथिल कार्यवाही के दृष्टिगत समस्त आई0एस0ए0 को कारणदर्शक नोटिस निर्गत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया।

<u>कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/समस्त इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सी।</u>

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद में जनपद में कार्य कर रही दोनो फर्मों को निर्धारित कुल लक्ष्य 720 ग्राम पंचायतों/892 राजस्व ग्राम की पेयजल योजनाओं के जलकल परिसर की भूमि आवंटन की कार्यवाही के क्रम में वर्तमान तक 673 ग्राम पंचायतों/845 राजस्व ग्राम में भूमि आवंटित कर दी गयी हैं। शेष 47 ग्राम पंचायतों/47 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि प्राप्ति की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा शेष ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, अपर जिलाधिकारी एवं उपस्थित समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के लेखपाल द्वारा फर्म को चिन्हांकित करायी गयी भूमि के प्रस्ताव पर भू–प्रबन्धन समिति, स्वयं अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से की जाने वाली कार्यवाही को इसी सप्ताह सम्पन्न कराये। उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग जे0वी0 इको प्रोटेक्शन को भूमि प्राप्ति की कार्यवाही में शिथिलता बरतने के फलस्वरूप फर्म को कारण दर्शक नोटिस निर्गत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया।

<u>कार्यवाही– अधि0 अभि0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी/ मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।</u>

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि, जल जीवन मिशन गाइडलाइन के क्रम में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के निर्देशन में जनपद में स्थापित प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट के कार्यरत समस्त कार्मिकों के कार्यों की समीक्षा की गयी एवं डी0पी0एम0यू0 के जिला समन्वयक को निर्देश दिये गये कि, डी0पी0एम0यू0 में कार्यरत समस्त कार्मिकों द्वारा उनसे सम्बन्धित कार्यों के अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अन्य कार्यों को भी समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्वक कराना सुनिश्चित करें। जिससे जनपद भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित संकेतकों के लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। उक्त के अतिरिक्त फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन की कार्यवाही के क्रम में जनपद में कार्यरत समस्त आई0एस0ए0 द्वारा ग्रामवासियों से आधार कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की शिथिल कार्यवाही, फर्मों को आवंटित ग्रामों में अपेक्षित भूमि उपलब्ध न कराने की कार्यवाही एवं आपसी समन्वय स्थापित न करने के दृष्टिगत, जिला समन्वयक डी0पी0एम0यू0 को कारणदर्शक नोटिस निर्गत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया।

<u>कार्यवाही– अधि0 अभि0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0।</u>

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्यरत फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग को अवशेष ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन शासन द्वारा निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए यथा शीघ्र तैयार कर तकनीकी परीक्षण हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे अवशेष ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन विरचन उपरान्त निर्माण की कार्यवाही भी समय से सुनिश्चित की जा सके।

CamScanner

उक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यदायी संस्था टी0पी0आई0 आई0एस0ए0,एवं डी0पी0एम0यू0 को उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को शासन/प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश दिये

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

10.10.22

(मुकीम अहमद)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता भुगर्भ जल
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड-प्रथम
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला कृषि अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

प्रभागीय वन अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

17-10-22
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला विकास अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

18/10/2022
मुख्य विकास अधिकारी.
(उपाध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

<u>कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बलरामपुर।</u>

पत्रांक : 859 / 21-2 / 554 **दिनांक-** 21.10.22

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, बलरामपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग जे0वी0 इको प्रोटेक्शन, बलरामपुर।
8. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, बलरामपुर।

जिलाधिकारी

CamScanner